न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 05/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/ 5)

1. कृष्णचन्द पुत्र श्री सोहनलाल, जाति –ब्राहमण, निवासी–बुकलसर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. लालचन्द पुत्र श्री सोहनलाल, जाति –ब्राहमण, निवासी–बुकलसर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू।
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 30.12.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू अपील संख्या 134/2022 के निर्णय दिनांक 20.11.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जिला कलक्टर चूरू के अपील संख्या 134/2022 अनवान श्री कृष्णचन्द बनाम स्टेट, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय सरदारशहर निर्णय दिनांक 20.11.2024 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 20.11.2024 एवं तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 27.02.2018 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई दस्तोवेजी साक्ष्य अपीलान्ट के स्वामित्व के दस्तावेजो एवं स्वीकृत नक्शा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण किये बिना कानूनी प्रावधानो के विपरित मनमाना निर्णय दिनांक 27.02.2018 एवं उसके आधार पर दिया गया नोटिस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 05.04.2022 खिलाफ कानून, कायदा, नियम होने से काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत अपने स्वामित्व दस्तावेजो एवं स्वीकृत नक्शा भू–निर्माण स्वीकृति नक्शा एवं भू– अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.02.2018 स्वतः प्रमाणित है कि अपीलान्ट ने सड़क की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है रिपोर्ट दिनांक 21.02.2018 में स्पष्ट अंकन है कि उक्त सड़क का केन्द्र बिन्दु निर्धारित नही किया जा सकता, जब सड़क का केन्द्र बिन्दु ही निर्धारित नही किया जा सकता तो अतिक्रमण करने के तथ्य भी कयास के आधार पर अंकित किये है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर अपीलान्ट को इस भूखण्ड पर से अतिक्रमी मानने का विधिविरूद्व आदेश पारित कर दिनांक 05.04.2022 को गलत नोटिस प्रेषित किया है जो काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2018 में बिना माप के उक्त सड़क 14–14 मीटर दोनो तरफ होना माना है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2014 सिविल रिट पीटीशन संख्या 183/40 का हवाला देकर कयास के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जो निर्णय काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2018 मे सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड–द्वितीय सरदारशहर को आदेश दिया कि सड़क के केन्द्र बिन्दु का माप करवाकर सही स्थापित कर सात दिवस मे अतिक्रमण हटावे अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय पूर्ण नही होकर सशर्त निर्णय था जिसकी अनुपालना में रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा भू– प्रबंधन अधिकारी के नेतृत्व मे पीडब्ल्युडी नगर पालिका एवं राजस्व अधिकारियो की टीम का गठन करवाकर मौका एवं मौका पर आधुनिक तकनीकी डीजीपीएस से पैमाईश की परन्तु उक्त सड़क के केन्द्र बिन्दु का माप निर्धारित नही किया गया क्योकि राजस्व रिकार्ड पुराने एवं वर्तमान मे त्रुटिया होने के चलते माप सही नही किया गया जिससे स्वतः साबित था कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अहम कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है जो काबिले

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त है और उसी आधार पर प्रेषित नोटिस दिनांक 05.04.2022 भी विधिविरूद्व होने से काबिले निरस्त है। अपीलान्ट का भूखण्ड उस सड़क पर अन्य भूखण्डो की लाईनबन्दी में है उनसे आगे नही है, थाना परिसर शमसान भूमि एवं आस –पडौस के अन्य मालिको द्वारा कोई अतिक्रमण नही है तो अपीलान्ट द्वारा भी अतिक्रमण नही किया गया है परन्तु उक्त लाईनबन्दी के अहम तथ्यो पर गौर किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो काबिले निरस्त है। प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू के समक्ष तहसीलदार सरदारशहर के आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्व पेश की गई थी, प्रथम अपील न्यायालय ने रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट सीमा ज्ञान, नाप आदि का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट का प्लॉट वैध है तथा प्लाट के अलावा अपीलान्ट का कोई अवैध कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू दिनांक 20.11.2024 एवं आदेश तहसीलदार सरदारशहर दिनांक 27.02.2018 निरस्त फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अमित कटारिया सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड द्वितीय सरदारशहर ने दिनांक 10.09.2025 को लिखित जवाब अंकित कर निवेदन किया कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सरदारशहर के पत्रांक एफ–8 (भूमि) () 2021–22 / 1199 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा नगरपालिका आबादी क्षेत्र मे स्थित रोड़ को हस्तानान्तरण करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिसके क्रम में पांच सड़को का प्रस्ताव बनाकर अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड सरदारशहर के पत्रांक 538 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा उच्चाधिकारियो को प्रस्ताव भिजवा दिये गये। मुख्य अभियन्ता सा. नि. वि. राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F. 7 (1641) Sec. II/ part II/2012/d-127 dated 25-10-2021 के द्वारा उक्त पांच सड़को का स्थानान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगरपालिका सरदारशहर को कर दिया गया तथा इन आदेशो की पालना मे अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सरदारशहर के पत्रांक अ.अ. स. / 2021–22 / डी –1689 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा पांचो सड़को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की सूची अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सरदारशहर को भिजवा दी गई एवं अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सरदारशहर एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सरदारशहर के द्वारा उक्त पांचो सडको को हैण्ड ऑवर एवं टेकन ऑवर कर लिया गया है। दिनांक 15.11.2021 के बाद से उक्त पांचो सड़के सधारण एव अधिकार नगरपालिका सरदारशहर के पास है। न्यायालय में चल रहे पांचो प्रकरण अशोक स्तम्भ–घंटाघर रेल्वे स्टेशन– बीकानेर सड़क से सम्बधित है जो नगरपालिका सरदारशहर को स्थानान्तरित की जा चुकी है। अतः अप्रार्थीगण पक्ष के रूप मे अधोहस्ताक्षकर्ता को हटाकर नगर परिषद सरदारशहर (नगरपालिका सरदारशहर) को अप्रार्थीगण पक्ष बनाया जाये।

6. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 20.11.2024 एवं तहसीलदार सरदारशहर के निर्णय दिनांक 27.02.2018 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2024 एवं 27.02.2018 को खारिज का निवेदन गया है। दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि फर्द मौका कार्यवाही सीमाज्ञान दिनांक 16.11.2018 में अंकित है कि मौके पर स्थित सड़क का डी जी पी एस मशीन से सुपर इम्पोज की गई शीट से मिलान किया तो नवीन सैटलमेंट सन् 2013 मे की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण पाई गई जिसको मौके के अनुसार संवत् 2018 एवं नवीन सैटलमेंट सन् 2013 की शीट मे मौके के अनुसार केन्द्र बिन्दु को दर्शाते हुए अर्थात मौके पर स्थित डिवाइडर को दर्शाते हुए अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शा शीटो एवं सर्वे के अनुसार सड़क सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नही है। चूँकि नगरपालिका सरदारशहर द्वारा पट्टा जारी किया गया है इसलिए प्रकरण में उनको भी सुनना जरूरी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

20.11.2024 एवं तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 27.02.2018 को अपास्त किया जाता है, तथा प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष के साथ नगरपरिषद सरदारशहर (नगरपालिका सरदारशहर) को भी सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर